न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सन्त कबीर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या–8/2019

सरकार–––––बनाम–––––राजाराम मौर्य आदि

मु०अ०सं०–63/2016

धारा–308,323,504 भा०द०सं०

थाना–महुली, जनपद–संत कबीर नगर।

03.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण राजाराम मौर्य, हनुमान पाण्डेय, पवित्रनाथ पाण्डेय व भजुराम मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र सं० 62 ख के साथ **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 सं० 25269/2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2026** की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–09.07.2026 को सत्र लिपिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की आफिसियल बेवसाइट पर मिलान किया गया तथा उक्त आदेश को सही पाते हुए सत्यापित किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 सं० 25269/2026 में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2026 के द्वारा प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या 8/2019, सरकार बनाम राजराम मौर्या आदि, मु०अ०सं० 63/2016, धारा 308,323,504 भा०द०सं०, थाना महुली, जनपद संत कबीर नगर की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त **(क्वैश)** कर दी गयी है। अतः पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरांत नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सन्त कबीर नगर।
(**UP**06291)

Digitally signed by Gajendra
Date: 2026.08.03 16:35:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court